संख्या- 31/एक-10-2022

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फर्रूखाबाद ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक- 20 जनवरी, 2022

विषयः- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को रू0 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-जी0आई0 105/एक-11-2021-5 (जी)/2021, दिनांक 23.10.2021 में दिए गए निर्देशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दि0 22.11.2021 के अनुपालन में कोविड 19 से मृत कुल- 22898 व्यक्तियों के परिवारीजन को रू0 50,000/- की अनुग्रह सहायता प्रदान किये जाने हेतु राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1893/1-10-2021-33(12)/2021 दिनांक 24.11.2021 द्वारा जनपद [redacted] को रू0 97.00 लाख तथा शासनादेश संख्या- 1928/1-10-2021-33(12)/2021 दिनांक 01.12.2021 द्वारा रू0 50.00 लाख की धनराशि अर्थात कुल रू0 147.00 लाख आवंटित की गयी है।

2- जिलाधिकारी फर्रूखाबाद द्वारा पत्र संख्या 1788/सीआरए/दैआ-कोविड-19/2021-22 दि0-29.12.2021 द्वारा प्रेषित पत्र में धनराशि का उल्लेख नही किया गया है। पत्र में अंकित विवरण के अनुसार कुल 334 प्रकरणों के विरूद्व 261 परिजनों को भुगतान करने बाद 73 प्रकरण बचते है जिसके लिए जनपद के पास पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 147.00 लाख में से वितरित धनराशि रू0 130.50 घटाने के बाद रू0 16.50 बचे है कुल आवश्यक धनराशि रू0 36.50 लाख में से बची धनराशि का समायोजन करने के बाद रू0 20.00 लाख की आवश्यकता है।

3- जिलाधिकारी के उक्त अनुरोध के दृष्टिगत कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिवारीजन को रू0 50,000/- की अनुग्रह सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्न् विवरण/शर्तों के अधीन कुल रू0 20,00,000/- (रू0 बीस लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) उपरोक्तानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुग्रह धनराशि सम्बन्धित मृतक के विधिक उत्तराधिकारी के बैंक खाते में तत्काल स्थानान्तरित करेंगें।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवंशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार

मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

4- उपरोक्तानुसार स्वीकृत **धनराशि रू0 20,00,000/- (रू0 बीस लाख मात्र)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड 800-अन्य व्यय 06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या- 31(1)/एक-10-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ0प्र0 शासन।
9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।
10- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-21/01/2022

प्रेषण संख्या:- 31
आवंटन आदेश संख्या:- 190-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 7000000	2000000 7000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2000000 7000000	2000000 7000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्तर लाख

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन